उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

परिपत्र सं0– सी– 08 /वसूली /2023–24 दिनांकः 20.04.2023

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
2. समस्त शाखा/वरि0 प्रबन्धक,
   उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
   उत्तर प्रदेश।

महत्वपूर्ण

विषयः– वसूली कार्यक्रम एवं वसूली अभियान वर्ष 2023–24।

आप अवगत है कि सहकारी वसूली वर्ष जुलाई से संशोधित करते हुये अप्रैल से लागू किया गया है। साथ ही प्रत्येक वर्ष की भॉति आगामी तीन माहों(अप्रैल, मई व जून) में विशेष वसूली अभियान संचालित किया जा रहा है। यद्यपि बैंक परिपत्र सी–01/वसूली/ 2023–24 दि0 03.04.23 द्वारा यथा आवश्यक दिशा–निर्देश पूर्व में प्रसारित किये गये है, परन्तु कतिपय बिन्दुओं पर विशेष ध्यानाकर्षण एवं कतिपय नवीन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये निम्न निर्देश दिए जाते हैः–

1. दि0 01.03.21 से नवीन वितरित ऋणों की शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करें और यह प्रयास किया जाए कि सभी बकायेदारों से कार्मिकों का सम्पर्क निरन्तर बना रहे।
2. चालू मांग के सापेक्ष नोटिस निर्गत किये जाये एवं साक्ष्य शाखा स्तर पर अवश्य संरक्षित रखे।
3. चालू मांग किसी भी दशा में बकाया नहीं पड़नी चाहिए अन्यथा सम्बन्धित की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जायेगी।
4. रू0 एक लाख से अधिक बड़े–बकायेदारों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही करने हेतु पत्रांक 38001–04/वसूली/18–19 दिनांक 01.04.17 द्वारा दिए गए निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि एक लाख से बड़े चिन्हित बकायेदारों से दिनांक 30.04.23 के पूर्व वसूली की किसी न किसी कार्यवाही (यथा–धारा–95क, आर0सी0 एवं एलडीबी एक्ट) के अन्तर्गत अवश्य आच्छादित किया जाय।
5. ऐसी शाखायें जहॉ पर अमीन कार्यरत है वहॉ धारा–95'क' से आच्छादित बकायेदारों पर सम्मन, वारन्ट, गिरफ्तारी कुर्की आदि कार्यवाही अवश्य की जाय, शेष बकायदारों के विरूद्ध एल0डी0बी0 एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। नीलामी प्रकाशन माह अप्रैल 23 अथवा मई 23 के प्रथम सप्ताह तक अवश्य करा लिये जाये। 95'क' से आच्छादित बकाये के निष्पादन में अभियान चलाकर कुर्की दर्ज कराया जाये।
6. जिन जनपदों में अमीन कार्यरत नहीं है वहॉ पर एल0डी0बी0 एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाये।
7. बैंक के बकायेदार जो सरकारी सेवक हैं, असलहाधारी हों, एवं किसी संस्था/निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण पद पर हों से सम्पर्क स्थपित कर नियमानुसार उन्हें वसूली की नोटिस तामील करवा दी जाय। इसके उपरान्त भी उनके द्वारा बैंक धनराशि जमा न की जाए तो उनके सम्बन्धित विभाग को सम्मिलित करते हुये वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
8. बैंक के पक्ष में **बंधक की गई भूमि** बिना ऋण अदा किए किसी अन्य के पक्ष में बिक्री कर दी गई है, उनके क्रेता एवं विक्रेता के विरूद्ध प्र0का0 के परिपत्र सं0 सी–62/वसूली/ भूमि विक्रय/2017–18 दि0 03.11.2017 के अनुरूप कार्यवाही अमल में लाई जाये। विशेष रूप से बैनामों को निरस्त कराने हेतु एलडीबी एक्ट की धारा–22 के अधीन सिविल वाद दायर कराये एवं इस कार्यवाही की प्रथक से सूचना प्रेषित करें।
9. वसूली प्रकरणों में **माननीय उच्च न्यायालय सहित अन्य सक्षम न्यायालयों में योजित वाद/रिट दायर** याचिका के विरूद्ध प्रभावी पैरवी की जाए। यदि प्रश्नगत वाद/रिट में माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है उसका अनुपालन किया जाए। जिन प्रकरणों में कोई स्थगन आदेश या वसूली पर रोक नहीं है उनमें प्रभावी वसूली कार्यवाही की जाये।

10. शाखा के 20 बड़े बकायेदारों का नाम **शाखा कार्यालय, खण्ड विकास कार्यालय तथा तहसील कार्यालय एवं जनपद के 20 बड़े बकायेदारों का नाम जिलाधिकारी कार्यालय/मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय** परिसर की दीवार या बैनर लगाकर प्रचार–प्रसार की कार्यवाही समस्त शाखाओं द्वारा की जाये।

11. मण्डल के 50 बड़े बकायदारों की वसूली का दायित्व क्षेत्रीय प्रबन्धकों का होगा। विशेष रूप से श्रेणी–02 व 03 के ऐसे बकायेदार जो कि 50 बड़े बकायेदारों में शामिल है उनके ऊपर प्रभावी कार्यवाही कराते हुये वसूली सुनिश्चित की जाये। क्षे0प्र0 माह में कम से कम 02 बकायेदारों के ऋण खाते अवश्य बन्द करायें।

12. नीलामी प्रकाशन प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में न्यूनतम् स्पेश में शासकीय दरों पर कराया जाये। यदि नीलामी प्रकाशन के उपरान्त भी बकायेदारों द्वारा अपना बकाया जमा नहीं किया जाता है तो प्रत्येक शाखा कम से कम 2 से 4 बड़े बकायदारों के विरूद्ध नीलामी **30 जून 2023 तक अन्तिम रूप से सम्पन्न करायी जाये**। यह जिम्मेदारी सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक की है।

वसूली हेतु अन्य सामान्य निर्देशः–

1. **वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु वसूली व्यय के मानकों का निर्धारण 30.06.2023 के उपरान्त किया जायेगा। समस्त शाखा प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक शाखा की Outstanding और कार्यक्षेत्र के आधार पर वसूली वाहन यथा आवश्यक संचालित करें, वसूली वाहन का बैंक हित में सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय एवं वसूली भ्रमण/अभियान के अन्तर्गत दैनिक कार्यक्रम पूर्व से ही निर्धारित कर, वाहन यथा आवश्यक फी0आ0/सहा0फी0आ0/ शा0प्र0(सम्बन्धित अमीन यदि कोई हो) के नेतृत्व में संचालित किया जाये। वाहन की नियमानुसार लॉग बुक भरी जाये जिसे शा0प्र0 प्रमाणित करें एवं भ्रमण के दौरान क्षे0प्र0 उसको देखें।**
2. वसूली अभियान में वाहन संचालन हेतु अग्रिम साप्ताहिक रूट कार्यक्रम बनाया जाय, तथा जिला प्रशासन से आवश्यकतानुसार पुलिस बल एवं पी0आर0डी0 जवानों का सहयोग लिया जाय।
3. फील्ड भ्रमण के दौरान कृषक/बाकीदार के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाय। यथा–कृषक के मृतक होने, पलायित होने, वसूली सम्भव न होने अथवा अन्य कोई विशेष कारण हो, का उल्लेख ऋण खाते पर एवं ग्रामवार बकाया रजिस्टर में उल्लेख अवश्य किया जाय।
4. **समस्त शाखा/वरि0 प्रबन्धक, अपनी शाखा की एवं समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक अपने मण्डल की शाखावार वसूली से सम्बन्धित समस्त सूचनायें एक डायरी में हमेशा रखेंगे ताकि किसी भी समय पूछे जाने पर कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाये।**

समस्त शाखा/वरि0 प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक से अपेक्षित है कि उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित वसूली लक्ष्यों की शत्–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाय। ताकि संस्था उन्नति के मार्ग पर चलकर प्रदेश के विकास में प्रभावी ढंग से अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान कर सके। इसमें किसी स्तर पर विचलन पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

20.4.23

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
2. समस्त जनपदीय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक सहकारिता, उ0प्र।
4. निजी सचिव (उप सभापति) को, मा0 उप सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।
5. निजी सचिव (सभापति) को, मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।
6. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश को सादर अवलोकनार्थ।

20.4.23

प्रबन्ध निदेशक